फैक्टरिंग क्या है?

फैक्टरिंग ऐसी सेवा है जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रेता एवं खरीदार के बीच व्यापार लेनदेन की शृंखला के खाते के प्राप्यों की वसूली एवं वित्त को रक्षा प्रदान करती है।

फैक्टरिंग, सेवाओं का आवश्यकता अनुरुप पैकेज है जिसे वित्त प्राप्त करने हेतु, प्राप्यों की वसूली, ऋण की सुरक्षा तथा निर्यातक के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए बनाया गया है। संशोधित नकदी-प्रवाह, निर्यातक के पण्यावर्त में वृद्धि करने में सहायता करता है और कारोबार की मात्रा बढ़ने से उसे और अधिक लाभ मिलता है। इससे यह उत्पाद विक्रेता को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देता है।

फैक्टरिंग कब लागू है?

- खूले खाते की शर्त पर बिक्री
- निरंतर व्यावसायिक रिश्ता
- विक्रेता का स्पष्ट निष्पादन
- प्राप्यों का समनुदेशन
- खरीदार के समनुदेशन की सूचना
- नो काउंटर ट्रेड

निर्यात फैक्टरिंग की विशेषताएँ :-

ईसीजीसी ने एक विशिष्ट सेवा के रूप में निर्यातकों को निर्यात फैक्टरिंग सेवा प्रदान की है।

- प्राप्ति योग्य खातों की खरीद को प्रोत्साहित करना।
- अनुमोदित प्राप्यों पर 90% तक अनुमोदित वित्त उपलब्ध कराना।
- चूक अथवा दिवालियापन के कारण विदेशी खरीदारों पर 100% ऋण जोखिम सुरक्षा।
- विशिष्ट खरीदार के साथ लेनदेन के लिए निर्यातक की बिक्री खाता-बही का रखरखाव।
- व्यावसायिक ढंग से वसूली के लिए खरीदार के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई, समय व लागत की बचत और देय तिथि के तुरंत बाद भुगतान की वसूली की सुनिश्चितता।

फैक्टरिंग सेवाओं का लाभ कौन ले सकते है?

- अच्छा रेकार्ड रखने वाले निर्यातक
- खरीदार के साथ खुले खाते की शर्तों / डी ए शर्तों पर लेनदेन करने वाले
- कार्यकारी पूंजी की कमी का सामना कर रही तीव्र गति से विकास कर रही कंपनीयाँ
- वह कंपनी जो खुले खाते की शर्तों पर अप्रत्याशित थोक आदेश की आपूर्ति करती है।

निर्यातक का क्या लाभ है?

- समर्थक जमानत प्रदान किए बिना निर्यातक अतिरिक्त वित्त का लाभ ले सकता है।
- वसूली के लिए दस्तावेजों को बैंक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- वसूली, बिक्री खाता-बही के रखरखाव आदि के लिए खरीदार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता के रूप में प्रशासनिक लागत में कटौती।